



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19501

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3963 वर्ष 2025

मंगला गौतम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : शिव कुमार गुप्ता, उमेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को प्रस्तुत याचिका में पक्षकारों की सूची में तहसीलदार को प्रतिवादी संख्या 9 के रूप में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, तथा प्रतिवादी संख्या 8-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
3. इस न्यायालय के दिनांक 5.1.2026 के आदेश के अनुपालन में, उपजिलाधिकारी, जौनपुर द्वारा प्रेषित दिनांक 23.1.2026 की निर्देश-पत्री अभिलेख पर ली जाती है।
4. राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी ने उक्त निर्देश-पत्री के आधार पर प्रस्तुत किया कि भूखण्ड संख्या 967 क, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर, खेल के मैदान के रूप में दर्ज है तथा भूखण्ड संख्या 967 ख, क्षेत्रफल 0.514 हेक्टेयर, बंजर के रूप में दर्ज है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि भूखण्ड संख्या 967 क के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत तीन प्रकरण तहसीलदार, मड़ियाहूँ, जौनपुर के समक्ष लंबित हैं तथा भूखण्ड संख्या 967 ख के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(ए) के अंतर्गत आठ प्रकरण उपजिलाधिकारी, मड़ियाहूँ, जौनपुर के समक्ष लंबित हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त कार्यवाहियों के निस्तारण के पश्चात् प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 तथा धारा 67(ए) के अंतर्गत कार्यवाहियां क्रमशः तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी के समक्ष लंबित हैं।

7. निर्देश-पत्री में उल्लिखित लंबित प्रकरणों का विवरण निम्नवत है:

भूखण्ड संख्या 957 क के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(ए) के अंतर्गत

प्रकरण :-

1. प्रकरण संख्या टी202114360604608
2. प्रकरण संख्या टी202114360604610
3. प्रकरण संख्या टी202114360604609

भूखण्ड संख्या 957 ख के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(ए) के अंतर्गत

प्रकरण :-

1. प्रकरण संख्या टी202614360601636
2. प्रकरण संख्या टी202614360601637
3. प्रकरण संख्या टी202614360601638
4. प्रकरण संख्या टी202614360601639
5. प्रकरण संख्या टी202614360601640

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. प्रकरण संख्या टी202614360601641

7. प्रकरण संख्या टी202614360601642

8. प्रकरण संख्या टी202614360601643

8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 9-तहसीलदार, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त तीन लंबित कार्यवाहियों का, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, शीघ्रतापूर्वक निर्णय करें। आगे यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3-उपजिलाधिकारी, तहसील मड़ियाहूँ, जौनपुर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(ए) के अंतर्गत उपर्युक्त आठ लंबित कार्यवाहियों का, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, शीघ्रतापूर्वक निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 28, 2026

पीएस*

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।